

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2019

विषय: निजी नलकूपों को अत्यधिक कम दर पर की गयी आपूर्ति के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/2374/2018-19 दिनांक 13 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा किसानों के निजी नलकूपों को अत्यधिक कम दर पर की गयी आपूर्ति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान संख्या- 11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में रूपये 110000.00 लाख (रूपये ग्यारह अरब मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से (फार्म बीएम-9 भाग-1 संलग्न) आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु किया जायेगा। शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैंक/डाकघर में जमा नहीं की जायेगी।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि प्रवेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद में धनराशि स्वीकृत की गयी हो।

5. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

6. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय बेवसाइट पर डाली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं शासनादेश दिनांक 01 सितम्बर, 2018 में दिये गये निर्देशों/प्रावधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रपत्र बी0एम0-9 में बतायी गयी बचतों के सही होने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

9. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या: ई-1-294/दस/ 2019 दिनांक 15 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(उमा कान्त पाठक)

संयुक्त सचिव।

संख्या: 8/2019/841(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं अति ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को बी0एम0-9 की 03 प्रतियाँ सहित।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

uke o i nuke% mek dklr i k Bd] l a Qr l fpoA
%uhysk d ekj fl g] mi l fpo]
i zkl dh;
for foHkx A foHkx & d f'k

uke o i nuke
foHkx

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।